



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1948 (श10)
(सं० पटना 972) पटना मंगलवार 11 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
10 अगस्त 2026

एस० ओ० 185 दिनांक 11 अगस्त 2026—उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा-114 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के अंतर्गत निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारी को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए शमन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

सारणी

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	उप श्रमायुक्त-सह-निरीक्षक-सह-सुकारक	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत (संहिता के अध्याय XI के भाग VII को छोड़कर अन्य सभी स्थापनाओं के लिए)
2	उप मुख्य कारखाना निरीक्षक -सह-निरीक्षक-सह-सुकारक	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत (संहिता के अध्याय XI के भाग VII के लिए)

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/OSHC-03/2026-186/श्र०सं०)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 186 एस० ओ० 185 दिनांक 11 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/OSHC-03/2026-187 / श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 10th August 2026

SO 185 date 11th August 2026—In exercise of the powers conferred by Section 114 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) the Governor of Bihar is pleased to appoint the officers mentioned in Column 2 of the table below as Compounding Officer for establishments, in respect of those establishments situated in the areas specified in Column 3 against them for which the State Government is the appropriate government.

Schedule

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
1	Deputy Labour Commissioner-cum-Inspector –Cum- Facilitator.	Within the limits of its jurisdiction (For all establishments except Part VII of Chapter XI of the Code)
2	Deputy Chief Inspector of Factories-cum-Inspector –Cum- Facilitator.	Within the limits of its jurisdiction (For Part VII of Chapter XI of the Code)

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/OSHC-03/2026-186/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 972-571+200-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>